गुजरात जा रही 50 लाख की शराब जब्त, कंटेनर चालक गिरफ्तार

मोटर पार्ट्स की आड़ में शराब की तस्करी हो रही थी, रतनपुर बॉर्डर पर पुलिस ने कार्रवाई की

डूंगरपुर, (निसं)। बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने राजस्थान-गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर एक कंटेनर से 50 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की है, जिसे तस्करी कर गुजरात ले जाया जा रहा था। पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में कंटेनर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। मोटर पार्टस की आड़ में अवैध शराब की तस्करी हो रही थी।

जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि अवैध शराब तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन स्वच्छता के तहत अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत राजस्थान-गुजरात के रतनपुर बॉर्डर से अवैध शराब तस्करी की सूचना मिली थी, जिस पर बिछीवाड़ा थाना अधिकारी कैलाश सोनी के साथ ही पुलिस टीम ने बॉर्डर पर नाकाबंदी कर दी। इस दौरान उदयपुर से आने वाली गाड़ियों की तलाशी ली गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक कंटेनर को रुकवाया और ड्राइवर से पूछताछ की, लेकिन वह सही जवाब नहीं दे सका। इस पर पुलिस ने कंटेनर की तलाशी ली तो उसमें मोटर पार्टस की आड़ में अवैध रूप से शराब की पेटियां भरी हुई मिली, जिसे लेकर ड्राइवर के पास कोई कागजात भी नहीं मिले। पुलिस ने शराब से भरे ट्रक को जब्त कर लिया है। वहीं, शराब को ट्रक से उतारकर गिनती की गई तो उसमें 439 पेटी शराब मिली। जिसकी बाजार कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने शराब तस्करी करते ड्राइवर लिसमन रामचारण को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस तस्कर से शराब को कहां से गुजरात में किन ठिकानों पर तस्करी कर ले जा रहे थे, इस बारे में पूछताछ कर रही है। बिछीवाड़ा पुलिस ने एक दिन पहले सोमवार को भी अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 15 लाख की शराब से भरे ट्रक को जब्त किया था।

बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया।

- शराब को ट्रक कंटेनर से उतारकर गिनती की गई तो उसमें 439 पेटी शराब भरी मिली

सायबर ठगों को बैंक खाते दिलाने वाले पांच आरोपी गिरफ्तार

अलवर, (निसं)। किराए पर बैंक खाते देकर सायबर ठगों के 4 करोड़ रुपए के लेन-देन करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पूरे नेटवर्क की पुलिस पड़ताल कर रही है। मामला अलवर के मालाखेड़ा थाने का है।

- अकाउंट से चार करोड़ के लेनदेन का खुलासा, मालाखेड़ा से पकड़ा

अलवर एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि मामले में पांच आरोपी नरेश कुमार मीना (23) पुत्र बनवारी लाल मीना निवासी कलसाडा मालाखेड़ा, जगदेव मीना (25) पुत्र बल्लू राम निवासी निठारी थाना मालाखेड़ा, सतेंद्र सैनी पुत्र विश्राम लाल सैनी निवासी दल्ला की कोठी बरखेड़ा थाना मालाखेड़ा, नीरज कुमार पुत्र विश्राम सैनी निवासी दल्ला की कोठी बरखेड़ा मालाखेड़ा, हितेश उर्फ गब्बर (25) पुत्र राजेंद्र प्रसाद निवासी बरखेड़ा थाना मालाखेड़ा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को पकड़ने वाली टीम में एसएचओ हितेश शर्मा, एएसआई राजेन्द्र, कॉन्स्टेबल रिंकूराम, राजेश, सुरेश यादव व बिन्टू शामिल रहे।

अलवर में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया।

नकली तेल के 18 टीन जब्त, दुकानदार गिरफ्तार

भीम, (निसं)। कस्बे के सदर बाजार में मंगलवार को भीम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए होलसेल पुरण प्रकाश द्वारका दास के गोदाम पर नकली तेल बेचते हुए 18 टीन जब्त किये।

कुंदन एडिबल ऑयल कंपनी ब्यावर के प्रहलाद चंद ने 11 अगस्त को राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक को लिखित रिपोर्ट दी कि भीम थाना अंतर्गत कुछ दुकानदारों द्वारा पाली अनमोल तेल के पीपे भीम शहर के बाजारों में खुलेआम बिक रहे हैं, जबकि हमारी कंपनी का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, जहां पर कंपनी के प्रहलाद चंद भीम शहर के दुकानदारों को पूछने पर जानकारी मिली कि उक्त तेल के पीपे होलसेल की दुकान भीम पूर्ण प्रकाश द्वारका दास मलिक निक्की सिंधी से आते हैं, जिस पर कंपनी का व्यक्ति प्रहलाद चंद्र मंगलवार को भीम थाने पहुंचा जहां पर सूचना दी गई, जिस पर कार्रवाई करने के लिए भीम थाने के सब इंस्पेक्टर ठाकरे राम, एएसआई बलवीर सिंह, बीट प्रभारी लखन राम आदि मय जाब्ता पूर्ण प्रकाश द्वारका दास के गोदाम पर जांच की गई। जिस पर 18 टीन तेल के पीपे जब्त किए गए एवं दुकान मालिक निक्की सिंधी को माल सहित भीम थाने ले आई।

श्रीअनमोल गोल्ड तेल कंपनी के प्रहलाद चंद्र ने बताया कि ब्यावर प्लांट से श्री अनमोल गोल्ड कंपनी से तेल बनता है, जिसका रजिस्ट्रेशन भारत सरकार द्वारा किया गया है। यह ओरिजिनल तेल है, जबकि उसी का नाम करके पाली अनमोल तेल के नाम से बाहर से लाकर बाजारों में बेच रहे हैं। पाली अनमोल तेल के इस्तेमाल पामोलिन की मात्रा अधिक डाली जाती है, जबकि पामोलिन की मात्रा कॉस्मेटिक सामग्री बनाने में काम में आती है। पाली अनमोल तेल की मोटाई अधिक होती है जिससे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।

पुलिस ने तेल के पीपे जब्त किये।

हमले के दोषी को सजा

कोटा, (निसं)। युवक पर चाकू से जानलेवा हमले के साढ़े चार पुराने मामले में सुनवाई करते हुए महिला उत्पीड़न क्रम-1 न्यायालय ने पकड़े गये आरोपी को दोषी मानते हुए पांच साल की सजा सुनाई। महिला उत्पीड़न क्रम-1 न्यायालय की न्यायाधीश ने जानलेवा हमले के मामले में पकड़े गये आरोपी मोहम्मद समीर उर्फ लाला को दोषी मानते हुए पांच साल की सजा सुनवाई। साथ ही 14 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। मामले में जानकारी के अनुसार 8 अक्टूबर 2020 को परिवादिया सुमित्रा कंवर ने विज्ञान नगर थाने में रिपोर्ट दी थी। परिवादिया ने रिपोर्ट में कहा कि उसका बेटा पुष्पेन्द्र सिंह मोटरसाइकिल से रिमोट के सेल लेने के लिये साहू किशन स्टोर पर गया था। दुकान के सामने ही कुछ जनों ने उसके बेटे को जान से मारने की नियत से चाकू से हमला कर उसके बेटे के पेट पर गंभीर चोट पहुंचाई। पुलिस ने परिवादिया की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया।

उदयपुर नगर निगम के सीआई व युवक में हुई हाथापाई

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर में नगर निगम सीआई और युवक के बीच हाथापाई का मामला सामने आया है। सीआई मांगीलाल डांगी रेगर कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने के बाद पोल हटाने गए थे। इस दौरान एक व्यक्ति ने रैंप हटाने के बाद भराव नहीं हटाने का विरोध जताया। साथ ही सीआई का वीडियो बनाने लगा। सीआई ने मोबाइल साइट में कर दिया।

मामला शहर के रेगर कॉलोनी का है, जहां पर नगर निगम की टीम ने रविवार को पेट्रोल पंप से लगती गली में सड़क सीमा में बने रैंप तोड़े थे। टीम के साथ सीआई मांगीलाल डांगी भी गए थे। नगर निगम के सुरक्षाकर्मियों और स्टाफ के रैंप तोड़ने पर लोगों ने विरोध किया। फिर अगले दिन सोमवार को एक पोल हटाने को लेकर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। सीआई मांगीलाल डांगी भी गए थे। डांगी लौट रहे थे। एक व्यक्ति ने रैंप हटाने के बाद भराव नहीं हटाने को लेकर विरोध जताया। बार-बार उनके सामने मोबाइल ले जाकर वीडियो बना रहा था। वह व्यक्ति बोल रहा था कि आपने मोबाइल क्यों फेंका।

- सीआई मांगीलाल डांगी रेगर कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने के बाद पोल हटाने गए थे

इस बारे में सूरजपोल निवासी भरत कुमावत ने बताया कि कार्रवाई के लिए उनके आगे गली में टीम आई और रैंप तोड़ा। बाद में मेरे यहां आकर भी तोड़ने लगे तो मैंने कहा बरसों से यहां बना हुआ है आप नपती कर लो लेकिन नुकसान पहुंचा दिया। इस बीच उनसे उनका आईडी और आदेश मांगा लेकिन वे नहीं माने और तोड़कर चले गए। इस बीच उनसे उनका आईडी और आदेश मांगा लेकिन वे नहीं माने और तोड़कर चले गए। मैंने कहा दूसरे और अतिक्रमण है उनको नहीं तोड़ रहे हैं। ये सवाल उठाए हैं।

सीआई डांगी ने बताया कि गाड़ी से उन्होंने उतरकर मोबाइल हटवाया। कहा कि ये भराव गैरेज सेक्शन से गाड़ी आकर हटा देगी। इस बात को लेकर संबंधित व्यक्ति के साथ हाथापाई की गई यह बात फैल गई।

सीआई डांगी का कहना है कि उन्होंने कोई हाथापाई नहीं की। उनके इतना मना करने के बाद भी मुंह के पास मोबाइल लाकर वीडियो बना रहा था तो तो मैंने गाड़ी से उतर कर उसे पीछे गया । डांगी बोले हम वहां निर्देशों की पालना करते हुए नियमानुसार राजकीय कार्य करने गए थे।

दुष्कर्म का आरोप, केस दर्ज

श्रीगंगानगर, (निसं)। जिला मुख्यालय पर सदर थाने में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ है। इसमें एक युवक के खिलाफ एफआईआर हुई है। नाबालिग की उम्र करीब 15 वर्ष है। जानकारी के अनुसार पीड़ित श्रीगंगानगर में एक खेल एकेडमी में कोचिंग के लिए आती थी। आरोपी युवक भी नाबालिग के साथ खेल की कोचिंग लेता था। इसी दौरान दोनों की जान-पहचान हुई। आरोप है कि युवक ने नाबालिग को बहलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। सूत्रों के अनुसार युवक ने नाबालिग को बहलाकर अन्य शहर में ले जाकर भी दुष्कर्म कया। पुलिस संबंधित पक्षों के बयान दर्ज कर जांच में जुटी है। इस संबंध में थाना प्रभारी सुभाषचंद्र ने बताया कि पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच की जा रही है।

- पुलिस ने मामला दर्ज किया

आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने वाला गिरफ्तार

उदयपुर, (का.सं.)। सलूंबर जिले की सराड़ा थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो डालने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना क्षेत्र में शांतिभंग करने के मामले में छह युवकों को भी गिरफ्त में लिया है। थानाधिकारी हेमंत अहारी ने बताया कि आरोपी मोहित पुत्र लक्ष्मण मीणा ने सोशल मीडिया पर अपने इंस्टाग्राम आईडी से क्षेत्र में भय फैलाने के उद्देश्य से आपत्तिजनक वीडियो अपलोड किया। सूचना पर सायबर टीम की मदद से आरोपी की पहचान हुई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी माफी मांगने लगा और भविष्य में ऐसा कोई भी वीडियो नहीं बनाने की बात कहना लगा। थानाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर ऐसा कोई आपत्तिजनक वीडियो नहीं डाले। ऐसे लोगों पर सायबर टीम पूरी तरह नजर बनाए हुए हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

महिला को सांड ने चार फीट ऊपर उछाला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

भरतपुर, (निसं)। भरतपुर में एक दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। यह वीडियो कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां दो बेसहारा सांडों (मवेशियों) ने लड़ते हुए एक महिला को चपेट में ले लिया। महिला उछलकर दूर जा गिरी, जिससे महिला बेहोश हो गई। स्थानीय लोगों ने महिला को बचाया और परिजनों को अवगत कराकर महिला को आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया। महिला के सिर और हाथ में गंभीर चोटें आईं हैं, इसके अलावा पीठ में दर्द से परेशान है, लेकिन ऐसे हादसों के बाद नगर निगम प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है।

घटना शहर के चांदनी मैरिज होम के पास की है। शाहजहां (55) पत्नी रमजान निवासी पाई बाग ने बताया कि वह घर का सामान लेने के लिए बाजार गई थी। शाम करीब पांच बजे वह सामान लेकर पैदल घर जा रही थी। चांदनी मैरिज होम के पास दो सांड खड़े थे। मैं वहां से आगे निकल आई। तब उन दोनों में झगड़ा नहीं हो रहा था। जैसे ही मैं सांडों को क्रोस कर आगे बढ़ी तभी दोनों सांडों में झगड़ा हो गया। इतने में एक सांड ने शाहजहां को पीछे से टक्कर मारते हुए उछाल दिया। शाहजहां करीब 4 फीट ऊपर उछल कर करीब 6 फीट आगे की तरफ गिरी। सांड टक्कर मारते हुए वहां से निकल गया।

आसपास के लोगों ने जब घटना को देखा तो, वह तुरंत मौके पर आए और शाहजहां को संभाला, जिसके बाद शाहजहां के घर घटना की सूचना दी गई। तब शाहजहां के परिजन आये और उसे घर ले गए। शाहजहां से सिर सहित शरीर के कई हिस्सों में चोट लगी है। फिलहाल उसका घर ही इलाज जारी है। महिला ने अपील की है नगर निगम प्रशासन के द्वारा इन्हें पकड़वाने की कार्यवाही की जाएगी।

घायल महिला।

एचआईवी पीड़ित दो अनाथ बालिकाओं को नया आश्रय मिला

ब्यावर, (निसं) जिला प्रशासन, बाल कल्याण समिति और सामाजिक संस्था 'जीवनप्रकाश' के प्रयासों से ब्यावर की दो एचआईवी पीड़ित अनाथ बालिकाओं को नया जीवन और सुरक्षित आश्रय मिला। ब्यावर में कार्यरत निजी संस्था जेपीएनपी के संस्थापक एवं संचालक संजू चौधरी द्वारा कलेक्टर कमल राम मीना के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया, जिसमें बताया कि 12 और 14 वर्ष की दो बालिकाएं, जो बचपन में ही एचआईवी के कारण माता-पिता को खो चुकी हैं, लंबे समय से असुरक्षित हालात में जीवन व्यतीत कर रही थी। जिला कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। एडीएम खटनावलिया ने तत्परता दिखाते हुए बालिकाओं की जानकारी सीडब्ल्यूसी अजमेर अध्यक्ष अंजली शर्मा को दी तथा जयपुर स्थित आशा की एक किरण केयर सेंटर में दाखिला दिलाने की प्रक्रिया प्रारंभ की।

ब्यावर : रा.उ. मा. विद्यालय अंधेरी देवरी में आजादी का अमृत महोत्सव एवं हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली का आयोजन रखा गया। वरिष्ठ अध्यापक रामराज मीना ने बताया कि प्रधानाचार्य भगवान सहाय जारोडिया ने तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में तिरंगा हाथों में लिए छात्र एवं अध्यापक भारत माता के जयघोष के साथ विद्यालय प्रांगण से शुरू होकर गांव के मुख्य मार्गों से गुजरे। इस अवसर पर व्याख्याता शाइस्ता सुल्ताना, आशुतोष दाधीच, रामराज मीना, गिरधारी लाल, दीपशिखा जैन, अनीता शर्मा, रश्मि गुर्जर, प्रकाश डांगी, रेखा शर्मा, मोहम्मद इम्तियाज, मुस्कान यादव, ईश्वर लाल, सुरेन्द्र सिंह, भानूप्रकाश, सुशील चौधरी आदि उपस्थित रहे।

खेत में खड़ी 1336 किलोग्राम गांजे की फसल व 153 किलोग्राम गांजा जब्त

कानोड़, (निसं)। उदयपुर जिले की कानोड़ थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए डेढ़ क्विंटल से अधिक अवैध गांजा व करीब साढ़े तेरह क्विंटल गांजे की फसल जब्त करते हुए दो अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।

थानाधिकारी मुकेश चंद्र खटीक ने बताया कि थाना सर्किल के विरया गांव में पहाड़ी क्षेत्र की आड़ व नदी दरिया के पेटे में दबीश दी गई, जहां एक खेत में गांजे की फसल बोई हुई थी जो हरी होकर लहलहा रही थी। फसल पर फूल-पत्ते व बीज भी आ चुके थे। वहीं खेत में स्थित कच्चे घर की तलाशी ली गई, जहां पर 15 प्लास्टिक कट्टों में सूखा गांजा भरा मिला। मौके पर मौजूद दो व्यक्तियों ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। मौके पर मौजूद दोनों ने अपना नाम कैसा पिता धन्ना मीणा निवासी लकुकालेवा, पुलिस थाना लसाडिया हाल निवासी विरया व दूसरे ने अपना नाम राम सिंह उर्फ रामा पुत्र केशा उर्फ केशु मीणा निवासी मालो का ओड़ा, थाना लसाडिया होना बताया। दोनों ही अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस थाना कानोड़ में एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर अनुसंधान थाना अधिकारी खेरोदा को सौंपी गई है।

पहाड़ी की ओट में करते थे गांजे की खेती :-पुलिस की पकड़ में आए दोनों अभियुक्तों ने यह बात स्वीकार करते हुए कहा कि पहाड़ी की आड़ लेकर गांजे की खेती करते हैं और मिलने वाले मुनाफे से अपना गुजारा चलाते थे। गौरतलब है कि क्षेत्र में पूर्व में भी कई बार पुलिस द्वारा अवैध गांजा पकड़ा है। पकड़े गए गांजे का वजन किया गया जिसमें 153.415 किलोग्राम सूखा गांजा होना पाया गया, वहीं खेत में खड़ी गांजे की फसल को कटवाते हुए उसका वजन किया तो 1336.600 किलोग्राम होना पाया गया।

थानाधिकारी मुकेश चंद्र ने बताया कि दोनों ही अभियुक्त अवैध कार्य करते हुए शातिर बदमाश प्रवृत्ति के हैं। उन्होंने अवैध कार्य को आम लोगों व पुलिस से बचाने के लिए खेत पर शिकारी कुत्ते पाल रखे थे, जिससे आम लोग भी उनके खेतों की तरफ जाने से डरते थे। पुलिस को भी अभियुक्तों तक पहुंचने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। शातिर बदमाशों की धरपकड़ व अवैध गांजे को पकड़ने के लिए थाना अधिकारी मुकेश चंद्र खटीक द्वारा गठित टीम में कांस्टेबल राजेंद्र, देवीसिंह, खेमाराम, संतोष, दशरथ, चेतन प्रकाश, ओमप्रकाश, दीपक व महिला कांस्टेबल भगवत कुंवर की अहम भूमिका रही।

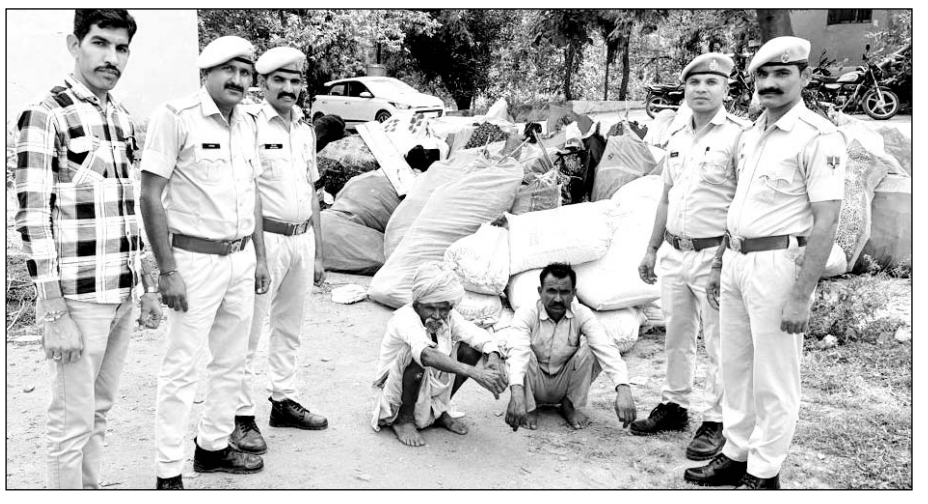

पुलिस ने गांजा जब्त कर दो जनों को गिरफ्तार किया।

- दो अभियुक्त गिरफ्तार, खेत में गांजे की फसल बोई हुई थी जो हरी होकर लहलहा रही थी
- अभियुक्तों ने अवैध कार्य को आम लोगों व पुलिस से बचाने के लिए खेत पर शिकारी कुत्ते पाल रखे थे

'अमर शहीद हेमू कालानी का साहस और त्याग देश के युवाओं के लिए प्रेरणा'

शाहपुरा/भीलवाड़ा, (निसं)। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि अमर शहीद हेमू कालानी भारत के सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उनका साहस और त्याग आज भी देश के युवाओं के लिए प्रेरणा है। यह स्मारक न केवल उनके बलिदान की कहानी कहेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी राष्ट्रभक्ति का संदेश देगा। शाहपुरा के लिए यह एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर साबित होगा। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी मंगलवार को भीलवाड़ा जिले के एकदिवसीय दौरे के दौरान शाहपुरा स्थित सिंधी कॉलोनी में अमर शहीद हेमू कलानी के स्मारक व मूर्ति अनावरण समारोह में आमजन को संबोधित कर रहे थे।

- शाहपुरा में अमर शहीद हेमू कालानी स्मारक एवं मूर्ति का अनावरण समारोह आयोजित

मूर्ति अनावरण समारोह महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम महाराज के सानिध्य में आयोजित हुआ। यह आयोजन नगर पालिका शाहपुरा और पूज्य सिंधी पंचायत के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, सनातन आश्रम के महामंडलेश्वर हंसराम महाराज, विधायक डॉक्टर लालाराम बैरवा, नगर पालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी ने स्वतंत्रता सेनानी शहीद हेमू कालानी स्मारक का लोकार्पण किया। कार्यक्रम संयोजक मूलचंद पेशवानी ने बताया कि नगर पालिका तथा पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा स्मारक का निर्माण कराया गया है, जिसका लोकार्पण किया गया है।

समारोह को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अमर शहीद हेमू कालानी न केवल अच्छे छात्र थे अपितु बहुत अच्छे तैराक, साइकिल चालक और उत्कृष्ट धावक भी थे। 19 वर्ष की आयु जीवन को समझने की शुरुआत होती है, उस उम्र में देश के लिए फांसी के फंदे का वरण करना, राष्ट्र धर्म के निर्वहन का सर्वोच्च आदर्श है। इस अवसर पर स्थानीय विधायक लालाराम बैरवा, अमर शहीद हेमू कालानी के परिवारजन मुंबई से कमला कालानी, सुरेश कालानी, नरेश कालानी एवं नगर पालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी, कार्यक्रम संयोजक मूलचंद पेशवानी समारोह में मौजूद रहे।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अमर शहीद हेमू कालानी के स्मारक व मूर्ति का अनावरण किया।